

भारत सरकार  
पर्यटन मंत्रालय  
लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. +5194

सोमवार, 03 अप्रैल, 2023/13 चैत्र, 1945 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटकों के स्वर्ग के रूप में भारत की पुनर्स्थापना

+5194. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:

श्री राहुल रमेश शेवाले:

श्री चंद्र शेखर साहू:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या एक पर्यटन स्थल के रूप में भारत की बहुत प्रशंसा की गई है तथापि, स्वच्छता, सुरक्षा और परिवहन संबंधी मुद्दों की खराब स्थिति से भारतीय पर्यटन की प्रतिष्ठा को धक्का लग रहा है;
- (ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
- (ग) क्या पर्यटकों के स्वर्ग के रूप में भारत की स्थिति को पुनर्स्थापित करने के लिए इसकी विविधता और समृद्ध विरासत को बढ़ावा देने की आवश्यकता है;
- (घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और इसमें अब तक क्या सफलता मिली है;
- (ङ) क्या भारत में सुरक्षा की कमी उन सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है जिसके कारण विदेशी पर्यटक यहां आने से बचते हैं;
- (च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्देश जारी किए गए हैं;
- (छ) क्या भारतीय संस्कृति के अनूठे लाभों को कार्यान्वित करने के लिए सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यटन मूल्य वाली राष्ट्रीय विरासत परियोजनाओं के संवर्धन और संतुलित विकास की आवश्यकता है; और
- (ज) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश की विरासत के संरक्षण के लिए पर्यटन उद्योग के उपयोग हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ङ): पर्यटन स्थल के रूप में भारत की बहुत प्रशंसा हुई है। विश्व के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन (आईटीए) में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2013 के दौरान 0.64% की तुलना में वर्ष 2021 (अनंतिम) में बढ़कर 1.54% हो गई है।

(ख) और (च): स्वच्छता के महत्व को ध्यान में रखते हुए पर्यटन मंत्रालय पूरे देश में भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम), ग्वालियर, केन्द्रीय होटल प्रबंधन संस्थान (सीआईएचएम), राज्य होटल प्रबंधन संस्थान (एसआईएचएम) और फूड क्राफ्ट इंस्टिट्यूट (एफसीआई) के माध्यम से स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) संबंधी कार्यकलापों का कार्यान्वयन कर रहा है।

उपरोक्त के अलावा, सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण योजना के अंतर्गत मौजूदा सेवा प्रदाताओं के लिए पर्यटन जागरूकता/संवेदीकरण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। प्रत्येक पाठ्यक्रम की अवधि 2 से 6 दिन है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अंततः बेहतर सेवा परिवेश पर्यटक अनुभव प्राप्त करना है तथा स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देना है।

पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा अनिवार्य रूप से राज्य सरकार का विषय है। हालांकि पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जो इस प्रकार हैं:-

- i. पर्यटन मंत्रालय ने समर्पित पर्यटन पुलिस की स्थापना करने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र (यूटी) प्रशासनों के समक्ष मामले को उठाया है। पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों से आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों ने किसी न किसी रूप में पर्यटक पुलिस तैनात की है।
- ii. पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक पुलिस की आवश्यकता को समझने और पर्यटकों की आवश्यकताओं के प्रति पर्यटन पुलिस को जागरूक करने के लिए भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम) के माध्यम से 'राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पर्यटन पुलिस के कार्य और सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली का प्रलेखन' नामक अध्ययन करवाया जिसे सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को भेजा गया था। प्रशिक्षण देने के लिए आईआईटीएम द्वारा दिया गया एक प्रशिक्षण मोड्यूल भी, गृह मंत्रालय को अग्रेषित किया गया था जिसे आगे सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों को परिचालित किया गया था।
- iii. एक व्यापक कार्यढांचा तैयार करने के लिए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने पर्यटक पुलिस योजना पर एक अध्ययन किया और एक अत्यंत विस्तृत रिपोर्ट तैयार की और राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की पर्यटक पुलिस हेतु पाँच दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी तैयार किया है। उक्त रिपोर्ट तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम को गृह मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय तथा सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ भी साझा किया गया है। तदनुसार पर्यटन मंत्रालय ने गृह मंत्रालय और बीपीआर एंडडी के सहयोग से 19.10.2022 को नई दिल्ली में सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के पुलिस विभागों के महानिदेशकों (डीजी)/महानिरीक्षकों (आईजी) के साथ पर्यटक पुलिस योजना के संबंध में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

- iv. पर्यटन मंत्रालय ने भारत में यात्रा संबंधी सूचना और भारत में यात्रा करते समय आपदा ग्रस्त पर्यटकों को उचित निर्देश देने के रूप में सहायक सेवा प्रदान करने के लिए घरेलू और विदेशी पर्यटकों को 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं (जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इतालियन, पुर्तगाली, रूसी, चीनी, जापानी, कोरियन, अरबी), हिंदी, अंग्रेजी सहित 12 भाषाओं में टोल फ्री नंबर 1800111363 या लघु कोड 1363 पर 24x7 बहुभाषी पर्यटक इन्फो-हेल्पलाइन स्थापित की है ।
- v. पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के पर्यटन विभागों सहित सभी हितधारकों के साथ 'सुरक्षित और सम्मानजनक पर्यटन संबंधी आचार संहिता' को अपनाया है, जो पर्यटकों और स्थानीय लोगों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए गरिमा, सुरक्षा और शोषण से मुक्ति जैसे मौलिक अधिकारों के लिए सम्मान की भावना के साथ की जाने वाली पर्यटन संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए दिशानिर्देशों का एक संग्रह है ।

पर्यटन मंत्रालय (एमओटी) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के सहयोग से प्रमुख पर्यटक गंतव्यों तक सड़क सम्पर्कता एवं मार्गस्थ सुविधाओं में सुधार करने हेतु कार्य कर रहा है।

(ग), (घ), (छ) और (ज): पर्यटन मंत्रालय 'स्वदेश दर्शन', 'तीर्थयात्रा जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान' (प्रशाद) और 'केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता' नामक अपनी चल रही योजनाओं के अंतर्गत देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/केन्द्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय 'आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार (डीपीपीएच)' और 'विदेशी संवर्धन एवं प्रचार (ओपीपी)' की अपनी योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न पहलों के माध्यम से समग्र रूप से भारत का संवर्धन भी करता है। अपनी चल रही गतिविधियों के भाग के रूप में यह देश में विदेशी पर्यटक आगमन बढ़ाने के उद्देश्य से भारत की समृद्ध विविधता और सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन मूल्य के साथ राष्ट्रीय विरासत परियोजनाओं सहित देश के विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों के संवर्धन हेतु "अतुल्य भारत" ब्रैंड-लाइन के तहत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नियमित रूप से प्रिंट, इलैक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन और आउटडोर मीडिया अभियान चलाता है।

इसके अलावा, मंत्रालय की एक डिजिटल पहल 'उत्सव पोर्टल' का उद्देश्य विश्व में लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में देश के विभिन्न क्षेत्रों का संवर्धन करने के लिए पूरे भारत के सभी समारोहों, महोत्सवों और लाइव दर्शनों को प्रदर्शित करना है। यह पोर्टल प्रत्येक राज्य के आयोजनों और महोत्सवों सहित महोत्सवों, आयोजनों और ऑनलाइन पूजा/आरती पर माह-वार और राज्य-वार कैलेंडर सामग्री प्रदर्शित करता है।